संख्या-13/2025/1106-22-4-2024-1889060

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2025**

विषयः- डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ हेतु विभिन्न मशीनों, उपकरणों/सामग्री की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34415/आधु-2/26-मशीन साज सज्जा/2024-25, दिनांक 18-11-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान में नवनियुक्त अधिकारी संवर्ग के प्रशिक्षुओं के इन्डोर व्याख्यान कक्ष हेतु 04 अदद इन्वर्टर एयर कण्डीशनर की धनराशि रू0 275747/- की दर, संस्थान के प्रशासनिक भवन, पुस्ताकालय एवं गंगा छात्रावास मैस में 03 अदद इन्वर्टर की धनराशि रू046800/-, संस्थान के प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय एवं गंगा छात्रावास की मैस में 06 अदद इन्वर्टर की बैट्री की व्यवस्था हेतु धनराशि रू0 147000/- की दर, प्रशिक्षण में नवनियुक्ति अधिकारी/जेल वार्डर संवर्ग के प्रशिक्षुओं के शारीरिक व्यायाम हेतु 01 अदद कॉस ट्रेनर मशीन जिम हेतु धनराशि रू0 50000/- की दर, नवनियुक्ति अधिकारी/ जेल वार्डर संवर्ग के प्रशिक्षुओं के शारीरिक व्यायाम हेतु 01 अद्द स्पिन बाईक (जिम साईकिल) जिम हेतु धनराशि रू0 58000/- की दर तथा नवनियुक्ति अधिकारी/जेल वार्डर संवर्ग के प्रशिक्षुओं के शारीरिक व्यायाम हेतु 01 अदद स्क्विड स्टैण्ड जिम हेतु धनराशि रू0 22490/- की दर, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 06.00 लाख(रुपये छह लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं द्वारा उपकरण/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक/माडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ द्वारा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001800 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-691-X-2024-25, दिनांकः 4.3.2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2025-1106(1)-22-4-2024-1889060, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।